188.241 हे० वन भूमि वन विभाग को वापस किए जाने संबंधी प्रमाण- पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि एन०टी०पी०सी० रिहंदनगर बीजपुर, जिला-सोनभद्र द्वारा रेनुकूट वन प्रभाग के जरहा रेंज अन्तर्गत ग्राम-बीजपुर,डोड़हर,अधौरा,मिटिहिनी,खैरी,सिरसोती,झीलो एवं खम्हरिया कि 961.620 हे० वन भूमि रिहन्द सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए हस्तांतरण हेतु अनुरोध किया गया । उक्त अनुरोध के आधार पर भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी०जी०ओ० काम्प्लेक्स लोदी रोड नई दिल्ली के आदेश संख्या-412/89 एफ़०सी० दिनांक-23.08.1991 द्वारा 744 हे० वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु दो शर्तो के अधीन सैद्धांतिक स्वीकृति आदेश जारी किया गया ।

उक्त 744 हे० वन भूमि के संबंध मे भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज ज़ोर बाग रोड नई दिल्ली के पत्र संख्या एफ़०नं० 8-412/1989-एफ़०सी०(पी०टी०) दिनांक-06 दिसंबर 2017 व इसके क्रम मे दिनांक 14.12.2017 को मुख्य वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ की अध्यक्षता मे सम्पन्न हुई बैठक तथा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या -1404/11 सी लखनऊ दिनांक 21.11.2017 के अनुपालन मे एन०टी०पी०सी० द्वारा उपयोग मे लायी जा रही 555.759 हे० वन भूमि के हस्तांतरण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है तथा (744-555.759)=188.241 हे० वन भूमि वन विभाग को वापस किया गया है । अभिलेख संलग्न है ।

एनटीपीसी /रिहंद नगर के लिए
एवं उसकी ओर से

(अनित कुमार)
उपमहाप्रबंधक (मा०सं०)
अनित कुमार/ ANIT KUMAR
उप महाप्रबन्धक (मा० सं०)/DGM (H.R.)
एनटीपीसी–रिहंदनगर/NTPC-Rihandnagar
सोनभद्र (उ०प्र०)/Sonebhadra (U.P.) 231223

क्षेत्रीय वन अधिकारी
जरहाँ रेन्ज
रेनुकूट वन प्रभाग
रेनकूट

(मनमोहन मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी,
रेणुकूट वन प्रभाग, रेणुकूट-सोनभद्र

C404

जनपद–सोनभद्र में रेनुकूट वन प्रभाग के जरहा रेंज अन्तर्गत रिहन्द सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, रिहन्दनगर–बीजपुर, जिला–सोनभद्र के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण भवन सी0जी0ओ0 कम्पलेक्स लोदी रोड नई दिल्ली के पत्र संख्या– 8–412/89–एफ0सी0 दिनांक–23.08.1991 द्वारा सैद्धान्तिक रूप से स्वीकृत 744.00 हे0 वन भूमि में से एन0टी0पी0सी0 द्वारा उपयोग में ना लाई जा रही वन भूमि को वन विभाग के पक्ष में वापस लिया जाना ।

प्रश्नगत प्रकरण में एफ0ए0सी0 की बैठक दिनांक– 16.11.2017 व बैठक के क्रम में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज ,जोर बाग रोड, नई दिल्ली का पत्र संख्या–8–412/1989– एफ0सी0(पी0टी0) दिनांक– 06.12.2017 व इसके क्रम में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ की अध्यक्षता में रिहन्द सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, रिहन्दनगर–बीजपुर, जिला–सोनभद्र के वन भूमि हस्तान्तरण के संबंध में दिनांक–14.12.2017 को सम्पन्न हुयी बैठक के कार्यवृत्त संबंधी पत्रांक–1607/11–सी–बैठक दिनांक–12/14.12.2017 में निम्नलिखित निर्णय लिये गये थे :–

1–भारत सरकार , नई दिल्ली के पत्र दिनांक– 23.08.1991 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त 744 हे0 वन भूमि में से एन0टी0पी0सी0 द्वारा उपयोग में लाई जा रही है वन भूमि का मौके पर चिन्हांकन करते हुये कुल वास्तविक संशोधित वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के नवीन दिशा निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन प्रस्ताव एन0टी0पी0सी0 द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा, जिसमें वर्तमान दिशा–निर्देशों के अनुसार उक्त वन भूमि का जियो रिफरेंस डिजिटल मैप, के0एम0एल0 फाईल की सी0डी0 एवं एस0ओ0आई0 टोपोशीट आदि सहित पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगें ।

2– एन0टी0पी0सी0 द्वारा उपरोक्तानुसार उपयोग में लाई जा रही संशोधित चिन्हित वन भूमि का Land use define करेंगें ।

3– एन0टी0पी0सी0 द्वारा उपयोग में लाई जा रही संशोधित वन भूमि के अतिरिक्त उपयोग में ना लाई जा रही वन भूमि को वन विभाग के पक्ष में वापस करनी होगी, जिस हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ के दिशा–निर्देशों के अनुसार मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर द्वारा हस्तान्तरण की कार्यवाही सम्पन्न करायी जायेगी ।

4– एन0टी0पी0सी0 द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले संशोधित प्रस्ताव में शुद्ध वर्तमान मूल्य को पूर्व में जमा की गई शुद्ध वर्तमान मूल्य की धनराशि से समायोजित किया जायेगा ।

5– संशोधित वन भूमि हस्तान्तरण के प्रस्ताव में भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार क्षतिपूर्ति हेतु दूगने अवतन वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण की 10 वर्षो के अनुरक्षण सहित आवश्यक धनराशि वर्तमान संशोधित दर के अनुसार मॉग की जायेगी , जिसमें एन0टी0पी0सी0 द्वारा पूर्व में जमा की गई क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि को समायोजित किया जायेगा ।

6– एन0टी0पी0सी0 द्वारा संशोधित वास्तविक क्षेत्रफल के अनुसार प्रस्तुत प्रस्ताव का सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा ।

7– एन0टी0पी0सी0 के द्वारा उपरोक्त कार्यवाही के साथ भारत सरकार के पत्र दिनांक– 23.08.1991 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की पूर्ण बिन्दुवार अनुपालन आख्या भी प्रस्तुत की जायेगी ।

8– भारत सरकार के पत्र दिनांक– 06.12.2017 में दिये गये निर्देश के क्रम में एन0टी0पी0सी0 को निर्देशित किया गया कि वन सलाहकार समिति के निर्णय के अनुपालन में एश डाईक को छोड़े गये खनन क्षेत्रों में डमप करने से हेवी मेटल के रिहन्द जलाशय में लीच करने की सम्भावना पर एक अध्ययन National Economic and Environmental Research Institute, Nagpur से तत्काल कराते हुये उनकी रिपोर्ट इस कार्यालय के माध्यम से भारत सरकार , नई दिल्ली को उपलब्ध कराया जायेगा ।

उक्त निर्देशों के अनुपालन में एन0टी0पी0सी0 के नामित अधिकारियो के साथ विभाग के क्षेत्रीय वन अधिकारी जरहा एवं उप प्रभागीय वनाधिकारी म्योरपुर द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया । संयुक्त निरीक्षणोपरान्त स्थिति निम्न प्रकार पायी गयी :–

(1) भारत सरकार द्वारा उक्त बिन्दु संख्या–1 में अंकित 744 हे0 वन भूमि हस्तान्तरण किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक– 23.08.1991 को जारी की गयी । उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश में अंकित 744

(मनमोहन मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी,
रेणुकूट वन प्रभाग, रेणुकूट-सोनभद्र

हे0 वन भूमि में से 555.759 हे0 (धारा–4 में विज्ञापित वन भूमि) का उपयोग एन0टी0पी0सी0 द्वारा गैर वानिकी प्रयोजन हेतु किया जा रहा है तथा(744हे–555.759हे0) 188.241 हे0 (धारा–20 में विज्ञापित वन भूमि) का उपयोग एन0टी0पी0सी0 द्वारा नही की जा रही है जिसका ग्रामवार विवरण निम्नानुसार है :–

क्र0 सं0	ग्राम का नाम	क्षेत्रफल(हे0मे)	जी0पी0एस0लोकेशन के अनुसार मौके पर बनाये गये कुल पैचो की संख्या
1	मिटिहिनी	27.726	01
2	खम्हरिया	13.001	01
3	झीलो	147.514	01से 06 तक
	योग–	**188.241**	

(2) एन0टी0पी0सी0 द्वारा उपयोग में ना लाई जा रही उक्त 188.241 हे0 धारा–20 में विज्ञापित वन भूमि पर **कोई अतिक्रमण नही है तथा वनीकरण हेतु उपयुक्त है** , जिसे मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ , पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक– 2400 / 11–सी दिनांक– 16.02.2022 व मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर के पत्रांक– 4109 / मी0क्षे0 / 33 दिनांक– 23.03.2022 के अनुपालन में आज दिनांक– 30/3/2022 को रेनुकूट वन प्रभाग के पक्ष में एन0टी0पी0सी0 से वापस कब्जा लिया जाता है । कब्जा लिये गये 188.241 हे0 वन भूमि पर कोई अतिक्रमण न हो इसका पूर्ण नियंत्रण क्षेत्रीय वन अधिकारी जरहा की होगी ।

कब्जा सौपंने वाले अधिकारी

30/3/22
अनित कुमार / ANIT KUMAR
उप महाप्रबंधक (मा0 स0)/DGM (H.R.)
एनटीपीसी लि0 रिहंद/NTPC Ltd. Rihand
सोनभद्र (उ0प्र0)/Sonebhadra (U.P.) 231223

30/3/2022
Arvind Kumar Shukla
Dy Manager
NTPC - Rihand Nagar

ए0के0 शुक्ल / A.K. SHUKLA
उपप्रबन्धक (मा0सं0-सी0एस0आर)
Dy. Manager (HR-CSR)
एनटीपीसी लि0 रिहंद/NTPC Ltd. Rihand
सोनभद्र (उ0प्र0)/Sonebhadra (U.P.) 231223

कब्जा प्राप्त करने वाले अधिकारी

(1) (कामता प्रसाद तिवारी)
वनरक्षक
डाइहर बीट
जरहा रेन्ज

(2) [illegible]
साथ जी
वन रक्षक
कुडा व परवाना बीट
जरहा रेन्ज

(3) (सरोज कुमार पाण्डेय)
वन दरोगा
कुडा सेक्शन जरहा रेन्ज

(4) 30/03/2022
नूर आलम
वन दरोगा,
बीजपुर सेक्शन,
जरहा रेंज

उप प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग
रेनुकूट–सोनभद्र

क्षेत्रीय वन अधिकारी
जरहाँ रेन्ज
रेनुकूट वन प्रभाग
रेनकूट

अनित कुमार/ ANIT KUMAR
उप महाप्रबन्धक (मा0 स0)/DGM (H.R.)
एनटीपीसी-रिहंदनगर/NTPC-Rihandnagar
सोनभद्र (उ0प्र0)/Sonebhadra (U.P.) 231223

(मनमोहन मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी,
रेणुकूट वन प्रभाग, रेणुकूट-सोनभद्र

क्षेत्रीय वन अधिकारी
जरहाँ रेन्ज
रेनुकूट वन प्रभाग
रेनुकूट

(मनमोहन मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी,
रेणुकूट वन प्रभाग, रेणुकूट-सोनभद्र